राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 898वी बैठक दिनांक 25.09.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 898वी बैठक दिनांक 25.09.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :--

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:--

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P-2/1125/2025	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
2.	P-2/703/2024	1(a)	रतलाम	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
3.	P-2/265/2024	1(a)	रतलाम	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त किया जाये।
4.	P-2/1327/2025	1(a)	गुना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
5.	P-2/1325/2025	1(a)	बैतूल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
6.	6408/2019	1(a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
7.	8025/2020	1(a)	बालाघाट	मैगनीज ऑर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति वैधता विस्तार	ADS जारी किया जाये।
8.	P-2/1332/2025	1(a)	सागर	फर्शीपत्थर, खण्डा/ढोका खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
9.	10853/2023	1(a)	जबलपुर	लेटेराईट एवं ऑकर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

10.	P-2/447/2024	1(a)	राजगढ़	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
11.	P-2/467/2024	1(a)	शहडोल	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त किया जाये।
12.	P-2/479/2024	1(a)	उमरिया	रेत खदान	ADS raised by SEAC	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
13.	P-2/480/2024	1(a)	उमरिया	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
14.	P-2/436/2024	1(a)	रायसेन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त किया जाये।
15.	P-2/439/2024	1(a)	रायसेन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 898वी बैठक दिनांक 25.09.2025 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No.: SIA/MP/INFRA2/525947/2025, Case No: P2/1125/2025, Mukund Developers, Proposed "Mukund Majesty" Development of Multi-Unit Residential (Apartment) Project, 37, Village Salaiya, Bhopal M.P. The proposed project consists of Residential Plots and Apartments. Project at Khasra No.- 156/1, 152& 160/2/1, Village – Salaiya, Tehsil – Huzur, District – Bhopal (M.P)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 794वी बैठक दिनांक 17.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. खसरा क्र. 156/1, 152 एवं 160/1 के संबंध में खसरा पंचशाला के कॉलम 12 में 'विपवर्तन' अंकित है। अतः यह स्पष्ट किया जाए कि उक्त खसरा नंबरों का विपवर्तन किस कारण से किया गया है।
2. जल आपूर्ति का स्त्रोत हेतु नगर निगम का पत्र प्रस्तुत किया गया है किन्तु क्या नगर निगम द्वारा आवश्यक जल की आपूर्ति की जा सकती है। उक्त संबंध में नगर निगम का कमीटमेंट अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
3. निर्माण के दौरान उपयोग में आने वाले जल की आपूर्ति कहां से की जायेगी, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
4. पीने योग्य जल की बायोलॉजिकल, फिजिकल एवं केमिकल गुणवत्ता स्पष्ट नहीं है।
5. परियोजना स्थल पर भू–जल पर प्रभाव व उसके संबंध में सक्षम अधिकारी का पत्र।
6. बिजली व्यवस्था के लिए कंपनी की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
7. भवन निर्माण के दौरान अर्थवर्क कितना निकलेगा एवं उसके डिस्पोज की क्या व्यवस्था।
8. 586 निर्धारित फ्लैट की पार्किंग व्यवस्था के एवज में 516 गाडियों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है शेष गाडियों के पार्किंग की व्यवस्था के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
9. परियोजना कार्य हेतु मजदूरों के रहने, पीने के पानी एवं उपचार की क्या व्यवस्था होगी।
10. Double Plumbing की क्या व्यवस्था है स्पष्ट करें।
11. प्रस्तावित भवन/परियोजना हेतु अग्निशमन विभाग (Fire Department) से जारी अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र (Fire NOC) प्रस्तुत किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्रं. 1 से 11 तक की जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त कर एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की WP No. 1394/2023 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2025 में उल्लेखित दिशा निर्देशों के परिपालन में परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

2. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/519025/2025, Case No P2/703/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine (opencast manual method) in area of 8.00 hectare, for production capacity of 4050 cum per annum at Khasra No- 1, 110, in Village -Melu Khedi, Tehsil-Tal, District –Ratlam (MP), by The M.P State Mining Corporation Limited, Shri Dinesh Sharma authorized person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 794वी बैठक दिनांक 17.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Stduy प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:–

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total depostion	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Ratlam	Melu Khedi	1, 110	2021-22	8.00	1112.00	1.60	0.70	11200	1.00	16000	16000	9600	0
			2022-23		1299.20	1.60	1.00	16000	1.45	23200	23200	13920	0
			2023-24		1327.90	1.60	1.45	23200	1.85	29600	29600	17760	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 794वी बैठक दिनांक 17.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replnishiment Stduy डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/519050/2025, Case No P2/265/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00 Hectare, for production capacity of 3000 cum per annum, at Khasra No- 701 in Village -Gondi Shankar, Tehsil-Jaora, District -Ratlam(MP), by The M.P State Mining Corporation Limited, Shri Dinesh Sharma authorized person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 794 वी बैठक दिनांक 17.05.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

"...... प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि लीज क्षेत्र से अप स्ट्रीम में पूर्वी ओर एक स्टाप डेम 250 मी. पर स्थित है स्टाप डेम के स्थान से पॉच गुना अर्थात 1250 मी. छोड़ने पर लीज क्षेत्र खनन हेतु समाप्त हो जाता है, अतः प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये अनुशंसा योग्य नहीं पाया गया है।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 794 वी बैठक दिनांक 17.05.2025 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

4. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/497221/2025, Case No. P2/1327/25, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha., for production capacity of 20000 m 3 /year, at Khasra No. 27/11, Village- Pakhariyapura, Tehsil- Chachouda, District- Guna (M.P.) by Shri Jagdish Gurjar S/o Shri Balram Gurjar, R/o: Jarkhadiyakhedi, Tehsil: Biora, District Guna (M.P.).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 793वी बैठक दिनांक 14.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं SEAC की 793 वी बैठक दिनांक 14.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश क्रमांक 3379 दिनांक 15.03.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.03.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कैसकेउ समान संरचना से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

5. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/520012/2025, Case No. P2/1325/25, , Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method) in an area of 1.00 ha., for production capacity of 4500m3 /year, at Khasra No. 11/1/2 & 11/2/2, Village- Deori, Tehsil- Multai, District- Betul (M.P.) by Shri Anand Rao Sarode S/o Shri Buddhu Sarode, R/o:Kamath, Tehsil: Multai District Betul (M.P.)**

प्रश्नाधीन प्रकरण में शिकायत प्राप्त हुई है कि मौके पर पर्यावरणीय स्वीकृति के बगैर ही खदान संचालित कर ली गई है। क्रेशर भी लगा हुआ है। शिकायत के साथ गिट्टी के ढ़ेर के फोटोग्रॉफ भी प्राप्त हुये है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया है कि **SEAC** एवं **SEIAA** के सदस्य मौके पर जाकर खदान का निरीक्षण करे अथवा कलेक्टर से जांच प्रतिवेदन 15 दिवस में प्राप्त करें। इसके उपरांत ही प्रकरण **SEIAA** के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

6. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/539544/2025, Case No. 6408/2019: Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast Manual/Semi Mechanized Method) in an area of 1.00 ha. for production capacity of 28,500 cum per annum at Khasra No. 51/1, 52/1 k at Village - Berja, Tehsil - Gwalior, Dist. Gwalior (MP) by Shri Matadin Kushwah S/o Late Shri Bhotharam Kushwah, R/o Berja, Tehsil - Murrar, Dist. Gwalior, MP** Regarding transfer EC in the name of **M/s Shri Balaji Granite, Partner Shri Virendra Dogra R/o-Satyam Residency Tower, Alkapuri, Gwalior, District-Gwalior, M.P.**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु 01 वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 एवं 19.02.2025 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

7. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/539752/2025 प्रकरण क्र. 8025/2020 परियोजना प्रस्तावक मेंसर्स मैगनीज ओर इण्डिया लि. (MOIL), पता –मोईल भवन 1–ए कतोल रोड जिला नागपुर (महाराष्ट्रा) द्वारा मैगनीज ओर खदान (अन्डर ग्राउन्ड सेमीमैकनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 10,000 सें 1,20,000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 69.581 हेक्टेयर, खसरा नम्बर स्वीकृत लीज अनुसार, ग्राम लुगमा एवं उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.) Application for Validity Extension of EC- Form-6**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 14.02.2023 की वैधता विस्तार हेतु ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–6 में आवेदन किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत प्रथम दृष्टया निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 14.02.2023 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 14.02.2023 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन टेबल फार्म में मय फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत किया जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

8. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/529892/2025, Case No P2/1332/2025 Prior Environment Clearance for Flagstone, Khanda/Dhoka, Boulder & M-Sand Quarry (opencast semi mechanized method), in an area for production capacity of flagstone-6030 cum per annum, Khanda/Dhoka-540 cum per annum, Boulder-540 cum per annum & M-Sand-990 cum per annum, at Khasra No. 781/2, 765/1, 780, 792/2, 766/1, 778, 779, 768, 769, 770, 771, 774, 775/1, Village-Ujnethi, Tehsil- Shahgrah, District- Sagar (M.P.) by Shri Arvind Patel, R/O - Pandapura , Baghraj Ward, Sagar City District Sagar (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 795वी बैठक दिनांक 21.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत प्रथम दृष्टया निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रस्तावित खदान में स्थित वृक्षों के संबंध में SEAC के कार्यवाही विवरण में यह स्पष्ट नहीं है कि लीज क्षेत्र में कितने वृक्ष हैं एवं किस–किस प्रजाति के है व उनके संरक्षण के क्या उपाय किये जायेंगे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र में मौजूद वृक्षों की संख्या एवं उनकी प्रजाति व उनके सरंक्षण के उपाय की विस्तृत जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) **सदस्य**	(शिव नारायण सिंह चौहान) **अध्यक्ष**

9. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/523018/2025, Case No- 10853/2023 Prior Environmental Clearance for Sarauli Laterite and Ochre Deposit (Opencast Semi mechanized method) in an area of 4.69 ha. for production capacity of 99999 cum per year at Khasra No. 743/1, 743/2, 743/3, 744, 745, 746, 747, 748, 749 at Village-Sarauli, Tehsil-Sihora, District-Jabalpur (MP) by Shri Varun Kumar Gautam, Director, M/s Atisha Construction Private Limited, Village-Sarauli, Tehsil-Sihora, DistrictJabalpur (MP)-482001,**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 795 वी बैठक दिनांक 21.05.**2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 795 वी बैठक दिनांक 21.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **म.प्र. खनिज साधन विभाग का आदेश क्र. 5128 दिनांक 27.04.2023 के माध्यम से 30 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 26.04.2053 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(iii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(v) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

10. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/479115/2024, Case No P2/447/2024, Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method), in an area 17.210 Hectare (as per SEAC recommendation minable area is 4.2 ha.), for production capacity of 16800 cum per annum Khasra No.- 560, in Village - Parsana, Tehsil - Biaora, District - Rajgarh (MP), by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Shashikant Tiwari authorized person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 795वी बैठक दिनांक 21.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Stduy प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:–

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Rajgarh	Parsana	560	2021-22	17.21	1279.60	7.00	0.30	21000	0.40	28000	28000	16800	0
			2022-23		1901.39	7.00	0.4	28000	0.55	38500	38500	23100	0
			2023-24		844.20	7.00	0.55	38500	0.70	49000	49000	29400	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 795वी बैठक दिनांक 21.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* **अनुसार रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक "** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 17.210 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन् योग्य क्षेत्र 4.20 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11. Proposal No.: SIA/MP/MIN/478782/2024, Case No P2/467/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry, in an area 6.000 hectare, for production capacity of 108000 cum per annum, at Khasra No.- 223/551, in Village - Semarpakha , Tehsil - Jaisinghnagar, District - Shahdol (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Harishankar Shukla authorized person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 795 वी बैठक दिनांक 21.05.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"...... समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि डाउनस्ट्रीम दिशा में 600 मी. पर दक्षिण दिशा में एक रोडब्रिज (स्पॉन 350 मी.) स्थित है। अतः सेंड माईनिंग गाईडलाईन वर्ष 2016 एवं 2020 में निर्धारित दूरी छोड़ने पर रेत खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में समिति ने निर्णय लिया कि पर्यावरणीय संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता है।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 795 वी बैठक दिनांक 21.05.2025 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) **अध्यक्ष**

12. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/478445/2024, Case No P2/479/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry, in an area 6.110 hectare, for production capacity of 109980 cum per annum Khasra No.- 1005/1008, 442/1007/1, in Village - Bhamrah, Tehsil - Manpur, District - Umaria (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Gayaprasad Anjne Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011**.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 795 वी बैठक दिनांक 21.05.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"...... समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि ***-Bandhavgarh National Park and Panpatha Wildlife Sanctuary ESZ, vide notified by S.O. 4027 (E) December 14, 2016 MOEF&CC,*** *में ईको सेंसिटिव जोन की दूरी 02 कि.मी. तक दर्शाई गई है अतः समिति का निर्णय है कि उक्त संबंध में परियोजना प्रस्तावक कार्यालय क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया से ईको सेंसिटिव जोन से आवेदित रेत खनन स्थल की दूरी का उल्लेख करते हुये स्पष्ट अभिमत प्राप्त करें, तत्पश्चात पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में परीक्षण उपरांत पाया गया कि SEAC द्वारा प्रकरण में ADS जारी किया गया है जबकि ऑनलाईन प्रकरण प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया है। अतः प्रकरण पुनः SEAC को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

13. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/478702/2024, Case No P2/480/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method), in an area 2.024 hectare (as per SEAC recommendation mineable area is 0.95 ha.), for production capacity of 28500 cum per annum (as per SEAC recommendation), at Khasra No.- 344, in Village - Khairbhar-1 , Tehsil - Chandia, District - Umaria (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Gayaprasad Anjne authorized person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 795वी बैठक दिनांक 21.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Stduy प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:–

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total depostion	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Umaria	Khairbhar-1	344	2021-22	2.024	1002.10	2.024	2.50	50600	3.00	60720	60720	36432	10627
			2022-23		1215.70	2.024	2.46	49790.4	3.10	62744	62744	37646	8592
			2023-24		1053.00	2.024	2.75	55660	3.33	67399.2	67399.2	40440	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 795वी बैठक दिनांक 21.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* **अनुसार रोड़ ब्रिज एवं स्टॉन डेम के स्पैन की 05 गुना दूरी तक अप स्ट्रीम तरफ एवं 10 गुना दूरी तक डाउन स्ट्रीम तरफ"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 2.024 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन् योग्य क्षेत्र 0.95 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

14. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/478442/2024, Case No P2/436/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry, in an area 4.00 Hectare, for production capacity of 48000 cum per annum, at Khasra No.- 735, in Village – Boras-1 , Tehsil - Udaipura, District - Raisen (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Satendra Singh Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 795 वी बैठक दिनांक 21.05.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"...... समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि पश्चिम दिशा में नर्मदा रोडब्रिज (NH-44) 500 मी. की दूरी पर स्थित है, रोडब्रिज का स्पॉन 350 मी. है, अतः सेंड माईनिंग गाईडलाईन वर्ष 2016 एवं 2020 में निर्धारित दूरी छोड़ने पर रेत खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में समिति ने निर्णय लिया कि पर्यावरणीय संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता है।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 795 वी बैठक दिनांक 21.05.2025 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

15. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/479171/2024, Case No P2/439/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry, in an area 3.300 Hectare, for production capacity of 39600 cum per annum, at Khasra No.- 187, in Village - Kotparmahant-2 , Tehsil - Bareli, District - Raisen (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Satendra Singh Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 795 वी बैठक दिनांक 21.05.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

"...... समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि पश्चिम दिशा में नर्मदा रोडब्रिज (NH-19) 500 मी. की दूरी पर स्थित है, रोडब्रिज का स्पॉन 450 मी. है, अतः सेंड माईनिंग गाईडलाईन वर्ष 2016 एवं 2020 में निर्धारित दूरी छोड़ने पर रेत खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में समिति ने निर्णय लिया कि पर्यावरणीय संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 795 वी बैठक दिनांक 21.05.2025 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबधितों को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**